

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2003

का.आ. 446(अ).— केन्द्रीय सरकार, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की (1972 का 53) धारा 58ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे सभी अधिकारियों को, जो पुलिस उप महानिरीक्षक की पंक्ति से नीचे के न हों, उक्त अधिनियम की धारा 58ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. 1-1/2003 वन्यजीव-1]

एम.के. शर्मा, वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव

NOTIFICATION

New Delhi the 18th April, 2003

S. O. 446(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 58E of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby authorizes all the officers not below the rank of a Deputy Inspector General of Police to exercise the powers of section 58E of the said Act.

[F. No. 1-1/2003 WL-1]

M. K. SHARMA, Director General of Forests and Spl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2003

का.आ. 447(अ).— केन्द्रीय सरकार, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की (1972 का 53) धारा 54 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशक, वन्यजीव संरक्षण और सहायक निदेशक वन्यजीव संरक्षण को उस सरकार के लिए तथा राज्य सरकार के मामले में मुख्य वन्यजीव वार्डन और ऐसे सभी अधिकारियों को जो उप वन संरक्षक की पंक्ति से नीचे के न हों, उक्त अधिनियम की धारा 54 के निबंधानुसार में शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त करती है।

[फा. सं. 1-1/2003 वन्यजीव-1]

एम.के. शर्मा, वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 2003

S. O. 447(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 54 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby empowers the Director of Wild Life Preservation and Assistant Director, Wild Life Preservation for that Government and in case of a State Government, the Chief Wild Life Warden and all officers not below the rank of the Deputy Conservator of Forests to exercise the powers in terms of section 54 of the said Act.

[F. No. 1-1/2003 WL-1]

M. K. SHARMA, Director General of Forests and Spl. Secy.